रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2015/ज्येष्ठ 9,1937
No. 351] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

सा.का.नि. 440 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 77, धारा 78 और धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (4) के खंड (क) में "कंपनी की मुहर द्वारा" शब्दों के स्थान पर "कंपनी की मुहर, यदि कोई हो तो, द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/10/2013- सीएल V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 248 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sections 77, 78 and 79 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, in rule 3, in sub-rule (4), in clause (a), for the words "under the seal of the company", the words "under the seal, if any, of the company" shall be substituted;

[F. No. 1/10/2013-CL.V]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub section (i), vide number. G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.